राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	233/2020 लालचन्द / पप्पुलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/07/20	अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित। कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड करे। चूँकि पत्रावली में प्रार्थना पत्र केवियट पेश हुआ है अत: केवियटकर्ता को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27/07/20 को पेश हो।	के.नो. 3290 24.7.20
27/7/20	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता केवियटकर्ता उपस्थित। उन्हे नकल उपलब्ध करवाई गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस के प्रारम्भ मे हमारा ध्यान अपील पत्रावली मे उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की प्रमाणित प्रतिलिपी की ओर आकर्षित करा कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवम् हुक्म इम्तनाई का प्रस्तुत कर उसमे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर प्रतिवादी अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध मांग घोषणा चाही गयी एवम् अपीलार्थी के विरुद्ध कोई अनुतोष यथा घोषणा नही चाही गयी थी किन्तु उक्त तथ्य के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये गये बगैर एवम् अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो आधारभूत तत्व प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति को समझे बगैर आदेश जेर अपील गलत रूप से पारित कर दिया जबकि मूल प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष घोषणा का है, जिसमे	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

तारीख हुक्म

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अपीलान्ट की खातेदारी के सन्दर्भ में न तो कोई घोषणा चाही गयी थी, ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी का उसके खाते की आराजीयात के उपयोग - उपभोग से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित नहीं था। अतः विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत पारित आदेश और अपील की क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे।

अधिवक्ता कैवियटकर्ता / रेस्पोन्डेन्ट ने जवाब बहस में अपीलार्थी के कथनों पर सहमति दर्शाते हुये निवेदन किया कि रेस्पो.सं.1 जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी था, ने घोषणा का वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जिसमें अपीलार्थी की खातेदारी के सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं चाही गयी है एवम् अपीलार्थी की हद तक पारित आदेश और अपील निरस्त किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। अपील पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन से एवम् दौराने बहस उभयपक्षों के कथनों से प्रथमदृष्टया यह स्पष्ट होता है कि विचाराधीन प्रकरण में इस अपील के रेस्पो.सं.1 जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी है, के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध कोई घोषणा नहीं चाही गयी है एवम् चूंकि दौराने बहस दोनों पक्ष आदेश और अपील को अपीलार्थी की हद तक निरस्त किये जाने हेतु सहमत है। अतः उभयपक्षों की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम जयपुर द्वारा पारित आदेश और अपील दिनांक 20/7/2020 को अपीलार्थी लालचन्द दत्तक पुत्र स्व. भूराराम

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	की हद तक मात्र क्रियान्विति स्थगित रखी जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3(क) की पालना करते हुये प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर गुणावगुण पर निस्तारण करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी • जयपुर •